कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज॰)

क्रमांकः— 2020 / ~~[illegible]~~ 17 दिनांकः— 04-5-20

—: आदेश :—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 17/PI/2020 दिनांक 02.05.2020 की अनुपालना एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक स्था॰ / 2020 / 61 दिनांक 03.05.2020 के अनुसरण में इस कार्यालय ने कार्यरत कर्मचारीगण की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

कार्यदिवस	ड्यूटी पर उपस्थित रहने वाले कार्मिकों का नाम
04, 08, 11 एवं 15.05.2020	श्री अमरचंद, श्री हितेन्द्र वर्मा, श्री हरिओम, श्री दीपक शर्मा,

इसके साथ ही मजिस्ट्रेट स्तर के अतिआवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण के साथ कार्य सम्पादन हेतु निम्न कर्मचारीगण की भी ड्यूटी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

कार्यदिवस	मजिस्ट्रेट स्तर के कार्य हेतु लगाये गये कार्मिक
05.05.2020 व 07.05.2020	श्री संदीप यादव, श्री गोपाल सिंह, श्री हितेश चंदुल, श्री अमरचंद कोली, श्री विवेक आर कुंतल, श्री पंकज शर्मा, श्री [illegible], श्री प्रशान्त कुमार मीणा
08, 11 एवं 15.05.2020	श्री मुकेश बंसल, श्री हरिकिशन महावर, श्री विनय शुक्ला, श्री [illegible] अग्रवाल, श्री रामसिंह जाटव, श्री विवेक आर कुंतल
12.05.2020 से 13.05.2020	श्री संदीप यादव, श्री गोपाल सिंह, श्री हितेश चंदुल, श्री अमरचंद कोली, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री विवेक आर कुंतल, श्री [illegible], श्री अंकित श्रीवास्तव, श्री लीलाधर
14.05.2020 एवं 16.05.2020	श्री संदीप यादव, श्री गोपाल सिंह, श्री हितेश चंदुल, श्री अमरचंद कोली, श्री विवेक आर कुंतल, श्री सुनील पचौरिया, श्री [illegible] शर्मा, श्री प्रदीप कुमार

नोटः—

1. उपरोक्त सारणी में जिन कार्मिकगण को किसी कार्यदिवस में कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित रहने से मुक्त किया गया है वे बिना किसी पूर्वानुमति के मुख्यालय का [illegible] आदेशानुसार न्यायालय / कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

   न्यायालय / कार्यालय में उपस्थिति से मुक्त किए कार्मिक मोबाइल आदि सेवा से सदैव संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर संपर्क ना होने की स्थिति में कार्मिक के विरूद्ध विभागीय नियमों के तहत समुचित कार्यवाही की जावेगी।
2. कार्मिकगण कार्यालय में आते जाते समय मास्क / रुमाल जो भी उपलब्ध हो, उसका ध्यान रखेंगे एवं कार्यालय में भी अपने स्थान को उचित साधनों से सेनिटाइज बनाये रखेंगे।
3. अधिकृत अधिकारीगण से संबंधित न्यायालयों के सहायक कर्मचारीगण पीठासीन अधिकारीगण के निर्देशानुसार न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

क्रमांकः— / 2020 / 394 दिनांकः— 04-05-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:—

1. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार / मानचित्र / नकल शाखा, धौलपुर
2. ✓ श्रीमान चेयरमैन, ई—कोर्ट कमेटी, धौलपुर
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (ड्यूटी अधिकारी)
5. संबंधित कर्मचारीगण को आदेश की प्रति पर सूचित किया जावे।
6. आदेश / सम्बन्धित पत्रावली